

मूल वाद में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

1. सुतचन्द] पिप रणजीत भाति जाट नियामी गण भुमरी	नाम	1. रणजीत पुत्र रणानु भाति जाट
2. ओमप्रकाश		2. रामचन्द्र पुत्र रणजीत] भाति जाट निवासी
3. श्री चन्द		3. श्रवणी पुत्री रणजीत	
दावा बाबत :-	125/2020, 88RA/20	4. इतावरी पुत्री रणजीत	5. राजप्रधान सरदार भाति रघुमीराम राजस्व भादरा
मुकदमा नम्बर :-	125/2020		
निर्णय दिनांक :-	15.12.21		

वादी की ओर से वकील मानुप्रताप की व प्रतिवादी सं० 1-4 की ओर से वकील मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रौही मौजा भुमरी वरानी के खाराम सं 184/169 के खाराम सं 107/3, 224/3, 254/3, 338/1 की कुल 5.6840⁷ हे० जो प्रतिम सं रणजीत के नाम राजस्व रिडॉर्ड में दर्ज है में में प्रतिम सं 1 रणजीत का नाम कुतमपन डिवा भाडर वारीगण सं 1 ता 3 तथा प्रतिम सं 2 ता प जो वदिसा वरावर के खाराम सं इतरदार घोषित डिपे जाते थे यदि इवि भूमि बेड रदन है तो रदन कुम्ह होने पर उपरोक्त वाद भूमि में सुतचन्द, ओमप्रकाश, श्रीचन्द, रामचन्द्र, श्रवणी, इतावरी पुत्र/पुत्रीप रणजीत के वदिसा वरावर के अनुसार राजस्व रिडॉर्ड में दर्ज डिपे भाडर रिडॉर्ड उरुमा डिपे जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 15.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़